राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 160 नवम्बर 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

डॉ. सविता हलाप्पानावार, जो भारतीय मूल की एक युवा दंत चिकित्सक थी, की दुःखद मृत्यु पर, जब उसका आयरलैंड के एक सरकारी अस्पताल में गर्भपात करने से इंकार कर दिया गया था जबकि उसकी जान खतरे में थी, विश्वभर में आक्रोश फैला।

डॉ. हलाप्पनावार, जो अपने पति के साथ आयरलैंड में बस गई थी, की उस समय असामयिक मृत्यु हुई जब डॉक्टरों ने यह कहते हुए भ्रूण का गर्भपात करने से इंकार कर दिया कि "यह एक कैथोलिक देश है", वह सात सप्ताह की गर्भवती थी। उसकी मृत्यु सेप्टीसिमिया से हुई। दि इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फेडरेशन (आईपीपीएफ) और सदस्य फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन, इंडिया (एफपीए इंडिया) ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आयरलैंड में महिलाओं के अधिकारों का प्रयोग करने में स्पष्टता और बराबरी होती तो डॉ. हलप्पनावार आज जिंदा होती।

आईपीपीएफ यह समझता है कि "सुरक्षित गर्भपात कराना प्रत्येक महिला का मूलभूत अधिकार है और यह हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम एक ऐसा समर्थकारी वातावरण बनाएं जिसमें महिलाएं इस विकल्प का प्रयोग कर सकें।"

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को पत्र लिखकर इस मामले को आयरलैंड सरकार के साथ उठाने को कहा है। विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं की पार्टियों ने मिल कर डॉ. सविता हलाप्पनावार की दुःखद मृत्यु की भर्त्सना की है और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग की है।

तथापि विश्व के देशों के कानूनों की समीक्षा करने से यह पता चलता है कि गर्भपात कानून पर असाधारण प्रतिबंध गर्भधारण के मामले में कैथोलिक देश के लिए अजूबा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व गर्भपात नीतियां 2011 के अनुसार आधे से अधिक देश जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है, बलात्कार/कौदुम्बिक व्यभिचार, भ्रूण में खराबी अथवा आर्थिक और सामाजिक कारणों से गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं। केवल 29 प्रतिशत देश अनुरोध पर जब महिला को उचित कारण बताने की जरूरत नहीं होती है, गर्भपात की अनुमति देते हैं।

चर्चा में — गर्भपात कानून

भारत में कुछ वर्ष पूर्व जब एक युगल ने मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष गर्भ को समाप्त किए जाने का, जो 20 सप्ताह के कानूनी सीमा से आगे चला गया था, अनुरोध किया तो इससे समूचे देश में मेडिकल और कानूनी दोनों क्षेत्रों में विवाद छिड़ गया। युगल का कहना था कि भ्रूण में जन्मजात हृदय अवरोध है और यदि इसे पैदा होने दिया गया तो शिशु का जीवन संघर्षमय हो जाएगा।

आवेदन को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि मेडिकल विशेषज्ञों ने ऐसी कोई स्पष्ट राय नहीं दी है कि यदि ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी गंभीर विकलांगता का सामना करना पड़ेगा, न्यायालय ने चिकित्सीय गर्भ समाप्ति अधिनियम का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि 20 सप्ताह के बाद तभी भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है जब माता को जानलेवा खतरा होता है न कि भ्रूण को। युगल इसी खामी को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने चिकित्सीय गर्भ समाप्ति अधिनियम में संशोधन करने की मांग की है ताकि 20 सप्ताह के बाद भी गर्भ को समाप्त किया जा सके यदि डॉक्टरों का यह विश्वास है कि यदि बच्चा पैदा होता है तो उसमें गंभीर असामान्यताएं होंगी और उसके जीवन की गुणता बहुत शोचनीय होगी। हाल में, एक मुम्बईकर को इसी स्थिति से गुजरना पड़ा। 26 सप्ताह की गर्भवती महिला को उसके अल्ट्रासाउंड से यह पता लगा कि भ्रूण का कोई मस्तिष्क नहीं है और खोपड़ी भी नहीं है। परन्तु गर्भपात कराने के उसके अनुरोध को इस तकनीकी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि गर्भपात के लिए उसका गर्भ निर्धारित 20 सप्ताह की अवधि से अधिक है। उसने बाद में पूरी अवधि के बच्चे का जन्म दिया जिसकी कुछ घंटों के अंदर मृत्यु हो गई।

भारत में गर्भपात नियमों के बारे में विभिन्न मेडिकल राय को ध्यान में रखते हुए 40 वर्ष पूर्व प्रख्यापित गर्भपात नियमों पर मेडिकल साइंस में हुई तरक्की और जीवन गुणता के बदलते सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए सार्वजनिक चर्चा करने की आवश्यकता है। तथापि, संशोधित कानून कठोर होने चाहिए और असामान्यताएं आंकने के लिए पारदर्शी तंत्र होना चाहिए। नहीं तो हमारे देश में जहां कन्या के प्रति पक्षपात होता है और पहले से निर्णीत पुत्र प्राथमिकता बनी रहती है, कानून का लिंग चयन गर्भपात के लिए दुरुपयोग हो सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित जांच समितियां

- डॉ. चारू वलीखन्ना ने एक किशोरी जिसने जिला ग्वालियर के उटीला गांव में तीन युवा लड़कों के द्वारा कथित रूप से बलात्कार किए जाने के बाद अपने आपको आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, की घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति की अध्यक्षता की। लड़की के पिता के अनुसार घर में शौचालय की कोई सुविधा न होने के कारण वह जंगल में शौच के लिए गई थी, जब उसका सामना तीन लड़कों से हुआ। इस तरह की घटनाएं महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को बताती हैं जिन्हें विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शौच के लिए बहुत दूर तक पैदल चल कर जाना होता है जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
- डॉ. वलीखन्ना ने एक सत्तर-वर्षीय महिला की मृत्यु के बारे में जांच की जो सहायता के लिए जिला कलक्टरी दतिया में आई थी और उसकी कथित रूप से भूख के कारण परिसर में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ग्वालियर मंडल में दतिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर भंदर गांव में सात व्यक्तियों द्वारा एक चौदह वर्ष की लड़की से कथित बलात्कार की भी जांच की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा की कार्यक्रमों में उपस्थिति

● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की हिमवीर वाइफ एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कल्याण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शनी ने यह सिद्ध किया है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों की पत्नियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं जबकि उनके पति सीमा क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।

प्रदर्शनी में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की विभिन्न यूनिटों में बने कालीन, शॉल, हर्बल उत्पाद, बेंत के बने फर्नीचर, जूती, मोमबत्ती, कलात्मक वस्तुएं और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए।

अध्यक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए। हिमवीर वाइफ एसोसिएशन की अध्यक्षा रीना सिन्हा उनके दाहिने ओर हैं

● अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मेघालय राज्य महिला आयोग, महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र के साथ सहयोग से शिलांग में आयोजित "महिला सशक्तिकरण - निर्धनता उन्मूलन का एक माध्यम" पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा, समाज कल्याण मंत्री श्री जे.ए. लिंगदोह, सुश्री रोशन वारजरी, मेघालय राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याएं, सुश्री वानसुक सयीम और सुश्री शमीना शफीक उपस्थित हुई। अध्यक्षा ने श्रोताओं को संबोधित करते

मंच पर बैठे हुए श्री जे.ए. लिंगदोह, मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती वानसुक सयीम और श्रीमती शमीना शफीक

हुए पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के कुछ भागों में महिलाओं की तस्करी के मुद्दे का उल्लेख किया और राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों और कल्याण स्कीमों पर चर्चा की। उन्होंने यह बात जोर देकर कही कि कोई भी महिला, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बहु-आयामी तरीके से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अपना योगदान कर सकती है। बाद में, उन्होंने मेघालय के राज्यपाल से मुलाकात की और महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

● अध्यक्षा उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए टोंक, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ गई जिसके कारण कैम्पस में बड़े पैमाने पर कथित रूप से दो विद्यार्थियों के साथ हुए बलात्कार और प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के कारण विद्यार्थियों में असंतोष फैल गया था। उन्होंने उप-कुलपति, पुलिस अधीक्षक, कलक्टर और पीड़ितों से भी मुलाकात की। दो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा जांच चल रही है।

बाद में, श्रीमती शर्मा ने सदस्या हेमलता खेरिया के साथ जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सिफारिशों के साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की।

● अध्यक्षा ममता शर्मा कुंदन वेलफेयर सोसायटी द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से अलवर में "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" पर आयोजित राज्य स्तर के सेमिनार में उपस्थित हुई। श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं की रक्षा करने के लिए सुरक्षापायों को अपनाने और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में

श्रीमती ममता शर्मा दीप प्रज्वलित करती हुई। सदस्या हेमलता खेरिया (सबसे दाहिने) देख रही हैं

जानने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे वे घरेलू हिंसा सहित किसी भी प्रकार के दुराचार से निबटने के लिए तैयार हो सकें। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया ने अपने भाषण में इस बात पर दुःख जताया कि हिंसा के अधिकांश पीड़ित अशिक्षित हैं और उनकी कानूनी सुरक्षापायों तक पहुंच नहीं हैं; कभी-कभार पारिवारिक दबाव अथवा अपराधियों की धमकियों के कारण मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों से निबटने के लिए कानूनी उपायों के बारे में जानकारी रखें।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर वाराणसी में दुर्गाकुण्ड के महिला वृद्ध आश्रम में बुनियादी सुविधाओं और संवासियों की रहने की हालातों का आकलन करने के लिए वहां गई। उन्होंने वृद्ध और बीमार महिला संवासियों के साथ कुछ समय बिताया।

उन्होंने कहा कि पेंशन सुविधाओं के साथ संवासियों के लिए दांत, आंख और हड्डियों की नियमित जांच होनी चाहिए और उनके लिए 24 घंटे परिवहन और नर्सिंग की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

महिला वृद्ध आश्रम के कुछ संवासियों के साथ सदस्या (बीच में)

सदस्या वाराणसी महिला संरक्षण गृह भी गई जहां पुलिस द्वारा अनैतिक मानव तस्करी अधिनियम के अंतर्गत छापों के दौरान छुड़ाई गई महिलाओं को रखा जाता है। उन्होंने महसूस किया कि संवासियों को बेहतर स्थान में भेजने की आवश्यकता है जहां उनके पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कोर्स कराया जा सकता है।

श्रीमती प्रभावलकर महिलाओं के लिए जिला जेल गई जो बुरी तरह खचाखच भरी हुआ था और इसलिए वहां रहने की स्थिति शोचनीय थी। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को जेलों में रहने वालों के लिए एक बड़ा और बेहतर स्थान उपलब्ध करना चाहिए।

● डॉ. चारू वलीखन्ना मणिपुरी वुमैन गन सरवाईवर नेटवर्क एंड इनीशिएटिव द्वारा नई दिल्ली में आयोजित "संवाद : खुली वार्ता-महिला और सरकार" पर एक राउंड टेबल कांफ्रेंस में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि महिलाओं की संख्या 'आधे आसमान' के बराबर है उन्हें परिवार, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में भी महिला असमानता और आर्थिक वंचन और राजनैतिक भेदभाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इससे उनके सामाजिक दर्जे में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे।

सदस्या ने निझ वर्ल्ड सोसायटी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित "पेंट फॉर जस्टिस" शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये पेंटिंग्स वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित थी और महिला भ्रूण हत्या, दहेज, बाल-विवाह, आदि से संबंधित विषयों को उजागर करती थी।

डा. वलीखन्ना न्याय देवी के पास खड़ी हैं

डॉ. वलीखन्ना नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली हाट पर वात्सल्य मेला कार्यक्रम में उपस्थित हुई और उन्होंने "अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों के साथ विवाह के मुद्दों और समस्याओं" पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संयुक्त महिला कार्यक्रम के साथ मिलकर 'घरेलू हिंसा' के विषय पर दिल्ली हाट में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक उत्तर प्रदेश में लहरपुर में एक कानून जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई जिसमें प्रतिभागियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, विभिन्न बीडीसी सदस्य और प्रधान इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

श्रीमती शफीक उत्तर प्रदेश में बिसवान में आयोजित "नारी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका" सेमिनार में उपस्थित हुई। इस सेमिनार में सैकड़ों कन्या विद्यार्थी, माता, अध्यापिका, सामाजिक कार्यकर्ता आदि उपस्थित हुए। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रकाशनों को वितरित किया

श्रीमती शमीना शफीक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रकाशनों को वितरित करती हुई

गया। कन्या विद्यार्थियों ने छोटे कस्बों और गांवों में पढ़ाई के दौरान उन्हें होने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के संबंध में प्रश्न उठाए।

सदस्या ने अध्यक्षा के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मेघालय राज्य महिला आयोग और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र के साथ मिलकर शिलांग में "महिलाओं का सशक्तिकरण - निर्धनता उन्मूलन के लिए एक माध्यम" पर आयोजित एक दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुई।

उन्होंने गुवाहाटी में अगले दिन असम में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक का केन्द्र बिन्दु विशेषकर जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से युवा लड़कियों की तस्करी और उनका पुनर्वास था। इसमें राज्य आयोग की एक सदस्या और सदस्य सचिव भी उपस्थित थीं।

उसके बाद, सदस्या ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग के साथ बैठक की और राज्य आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों और रुकावटों पर चर्चा की।

- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया ने वनस्थली विद्यापीठ में हुई घटना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए एक जांच समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने कथित पीड़िता से सीतामढ़ी में उसके गृह नगर में मुलाकात की।

वह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ जयपुर गई और वनस्थली की घटना और अन्य महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की।

श्रीमती खेरिया ने मरसी वेलफेयर सोसायटी, गाजियाबाद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से आयोजित एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की भूमिका पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में सांसद, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, एडवोकेट और प्रेस के सदस्य उपस्थित हुए।

इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती खेरिया ने इस बात को दोहराया कि आयोग का गठन महिलाओं की शिकायतों का समाधान

सदस्या हेमलता खेरिया श्रोताओं को संबोधित करते हुए

करने और विशेषकर निर्धन और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की मुख्य विशेषताओं और इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों और सामाजिक कर्त्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे उनके विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचारों का मुकाबला कर सकें। जिला प्रशासन को सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा कार्यक्रमों को परिचालित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए ताकि मां-बाप को अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

खाप पंचायतों के सदस्यों की राष्ट्रीय महिला आयोग से मुलाकात

खाप पंचायतों के प्रतिनिधि अध्यक्षा ममता शर्मा के साथ पारस्परिक संवाद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग गए। उन्होंने रोहतक में हुई एक बैठक में पारित संकल्प अध्यक्षा को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सभी सदस्याएं भी उपस्थित थी।

उन्होंने मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाने और एक ही गोत्र से संबंध रखने वाले युगलों के बीच विवाह पर रोक लगाने के अपने विचारों को दोहराया और इस तरह हिन्दु विवाह अधिनियम में परिवर्तन का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विवाह शाम की बजाए सुबह होने चाहिए। अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना किए जाने के लिए उन्होंने मीडिया पर दोषारोपण किया। वे वास्तव में भाईचारा बढ़ाते हैं, हत्याओं के मामलों को सुलझाते हैं और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सरकार से सहायता मिलती है तो वे हरियाणा में होने वाले बलात्कारों को रोकने में समर्थ हो सकेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों को हरियाणा में मिलकर कार्य करना चाहिए और यह मांग की कि उन्हें लोक आयुक्त का दर्जा दिया जाए।

उनके अनुरोध के उत्तर में श्रीमती शर्मा ने कहा कि वह उनकी मांगों के बारे में आयोग की सदस्याओं और हरियाणा सरकार से चर्चा करेंगी और एक महीने के आसपास के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्णय से उन्हें अवगत करेंगी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।